

[41A]

FIRST HALF YEARLY DEPARTMENTAL EXAMINATION, 2012

CENTRAL EXAMINATION COMMITTEE, BIHAR

DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT (WITHOUT BOOKS)--FOR
INDIAN FOREST SERVICE OFFICERS ONLY.

Time--Three Hours.

Full Marks--200

Pass Marks--100

Part--'A'/खण्ड--'क'

Objective type questions/वस्तुनिष्ठ प्रश्न

Answer all questions. Each question has two marks. Only one answer is correct. There is no negative marking.

सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के दो अंक हैं। केवल एक उत्तर ही सही है। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटेंगे।

National Forest Policy, 1988

राष्ट्रीय वन नीति, 1988

1. Forest Conservation includes--

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| (a) Preservation | <input type="checkbox"/> | (b) Maintenance | <input type="checkbox"/> |
| (c) Sustainable Utilisation | <input type="checkbox"/> | (d) All the above | <input type="checkbox"/> |
| वन संरक्षण में सम्मिलित है-- | | | |
| (क) परिरक्षण | <input type="checkbox"/> | (ख) सम्पोषण | <input type="checkbox"/> |
| (ग) सतत पोष्य प्रबंधन | <input type="checkbox"/> | (घ) उपरोक्त सभी | <input type="checkbox"/> |

2. Basic objectives of National Forest Policy include--

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) Maintenance of environmental stability | <input type="checkbox"/> |
| (b) Checking soil erosion in catchment area of rivers | <input type="checkbox"/> |
| (c) Checking the sand dunes in desert areas and along coastal tracks | <input type="checkbox"/> |
| (d) All the above | <input type="checkbox"/> |
| राष्ट्रीय वन नीति के मूलभूत उद्देश्य हैं-- | |
| (क) पर्यावरण स्थिरता बनाये रखना | <input type="checkbox"/> |
| (ख) नदियों के जल छाजन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण | <input type="checkbox"/> |
| (ग) रेगिस्तान एवं तटिये क्षेत्रों में बालू-रिब्बा (Sand dune) निरोध | <input type="checkbox"/> |
| (घ) उपरोक्त सभी | <input type="checkbox"/> |

3. The principal aim of Forest Policy is--

- | | |
|---|--------------------------|
| (a) To ensure environmental stability | <input type="checkbox"/> |
| (b) Maintenance of ecological balance | <input type="checkbox"/> |
| (c) Derivation of direct economic benefits from forests | <input type="checkbox"/> |
| (d) Option (a) and (b) | <input type="checkbox"/> |

P.T.O.

राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य आधार हैं--

- (क) पर्यावरण स्थिरता बनाये रखना (ख) पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखना
 (ग) वनों से प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ प्राप्त करना
 (घ) विकल्प (क) एवं (ख)

4. Essentials of Forest Management must include--

- (a) Existing forest land should be protected and productivity improved
 (b) Forest and vegetation cover should be increased on hill slopes, coastal areas catchment areas of rivers, reservoirs etc.
 (c) For conservation of total biological diversity, the network of National Parks, sanctuaries, biosphere reserves etc. should be increased.
 (d) All the above

वन प्रबंधन के लिए परमावश्यक है--

- (क) वनों का संरक्षण एवं उनकी उत्पादकता बढ़ाना
 (ख) पहाड़ी ढलानों, तटीय क्षेत्रों और नदियों एवं जलाशयों के जल छाजन क्षेत्रों में वनाच्छादन बढ़ाना।
 (ग) पूर्ण जैविक विविधता के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान, आश्रयणी, जैव-मंडल रिजर्व के जाल को बढ़ाना।
 (घ) उपरोक्त सभी

5. As per National Forest Policy, minimum area under forest cover should be--

- (a) 20% of land area (b) 30% of land area
 (c) One third of land area (d) None of them

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भू-भाग का कम-से-कम कितना क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिये--

- (क) 20 प्रतिशत (ख) 30 प्रतिशत
 (ग) एक तिहाई (घ) उपरोक्त से कोई नहीं

6. The State Forests must be managed in such a way as to--

- (a) No forests should be permitted to be worked without Government approved management plan.
 (b) Schemes and projects that interfere with ecologically sensitive areas should be restricted.
 (c) Exotic species should be planted on a large scale
 (d) Option 'a' and 'b'

राज्य के वनों का प्रबंधन निम्न प्रकार किया जाना चाहिये--

- (क) सरकार से स्वीकृत प्रबंधन योजना के बिना वनों में कार्य नहीं किया जाए
 (ख) ऐसी योजनाएँ एवं परियोजनाएँ जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती हैं उन्हें सीमित किया जाय।
 (ग) समुदाय को ऐसी आवश्यकताएँ जो अधिकारों एवं रियायतों के माध्यम से पूरी नहीं की जा सकती उन्हें आरक्षित वनों के बाहर सामाजिक वानिकी के माध्यम से पूरा करना।
 (घ) उपरोक्त सभी

7. Regarding rights and concessions--

- (a) The rights and concessions should be for bonafide use of communities
 (b) The right holders should be motivated with the protection and development of Forests from which they derive benefits.
 (c) The requirement of community that cannot be met by rights and concessions be met by development of Social Forestry outside reserved Forest.
 (d) All the above

जन-जातियों के लिए विशेष प्रावधान निम्न प्रकार है--

- (क) वनों के संरक्षण, पुनर्जनन एवं विकास कार्यों में जन-जातियों को पूर्ण रूप से सन्निहित करना जिससे उन्हें लाभपूर्वक रोजगार दिया जा सके ।
- (ख) जन-जाति लाभार्थियों का स्तर सुधारने हेतु पारिवारिक अभिविन्यस्त (Oriented) योजना प्रारम्भ करनी चाहिये ।
- (ग) वनों के अवकृष्ट होने को कम करने के लिए वनों में वृक्षों का पातन संस्थानों जैसे जन-जाति सहकारी समिति, मजदूर सहकारी समिति, सरकारी निगम आदि के माध्यम से किया जाना चाहिये ।
- (घ) उपरोक्त सभी

8. Special provision for tribal people include--

- (a) The tribal people should be closely involved in protection, regeneration and development of forests as to provide gainful employment to them.
- (b) Family oriented schemes should be started for improving status of tribal beneficiaries.
- (c) In order to reduce degradation of forests, felling of trees should be undertaken through institution such as tribal co-operatives, labour co-operatives, Government Corporations etc.
- (d) All the above

अधिकार एवं रियायतों के संबंध में प्रावधान निम्न प्रकार है--

- (क) अधिकार एवं रियायतें समुदायों के वास्तविक उपयोग हेतु होने चाहिये
- (ख) अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को उन वनों के संरक्षण एवं विकास के कार्यों हेतु प्रेरित करना चाहिये, जिनसे वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं ।
- (ग) समुदायों की ऐसी आवश्यकताएं जिन्हें अधिकार एवं रियायतों से पूरा नहीं किया जा सकता । उन्हें आरक्षित वनों के बाहर सामाजिक वानिकी के माध्यम से पूरा किया जा सकता है ।
- (घ) उक्त सभी

9. Area damaged by shifting cultivation should be--

- (a) Converted into agricultural land
- (b) Other area should be given for practicing shifting cultivation
- (c) Area should be rehabilitated through social forestry and energy plantations.
- (d) None of the above

झूम खेती से क्षतिग्रस्त क्षेत्र को--

- (क) कृषि भूमि में बदला जाय
- (ख) झूम खेती हेतु अन्य क्षेत्र उपलब्ध कराया जाय
- (ग) सामाजिक वानिकी एवं ऊर्जा पौधा-रोपण द्वारा पुनर्वास किया जाय
- (घ) उपरोक्त से कोई नहीं

10. Forest fire should be controlled because--

- (a) Standing trees are destroyed (b) Fodder is destroyed
- (c) Regeneration is destroyed (d) All the above
- वन अग्नि पर नियंत्रण किया जाय क्योंकि यह--
- (क) खड़े वृक्षों का विनाश करती है (ख) चारे का विनाश करती है
- (ग) पुनर्जनन का विनाश करती है (घ) उपरोक्त सभी

11. Forestry extension should be encouraged through--

- (a) Willing support of people
- (b) Short term extension courses should be organised for farmers in optimal use of land and water resources.

(c) Specialized courses should be organised for forest officers in latest developments in forestry and related discipline.

(d) All the above

वनों के विस्तार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये--

(क) व्यक्तियों के ऐच्छिक समर्थन से

(ख) किसानों के लिये भूमि एवं जल के इष्टतम प्रयोग हेतु कम अवधि के विस्तार कार्यक्रम आयोजित कर।

(ग) वन पदाधिकारियों के लिये वानिकी एवं संबंध विषयों पर विशिष्ट कोर्स प्रारंभ कर

(घ) उक्त सभी

12. Priority areas of research and development include--

(a) Effective conservation and management of existing natural Forests.

(b) Social forestry for rural/tribal development

(c) Development of substitutes to replace wood and wood products

(d) All the above

शोध एवं विकास हेतु प्राथमिक क्षेत्र है--

(क) प्राकृतिक वनों का प्रभावकारी संरक्षण एवं प्रबंधन

(ख) ग्रामीण/जनजाति विकास हेतु सामाजिक वानिकी

(ग) काष्ठ एवं काष्ठ आधारित पदार्थों के प्रतिस्थापन हेतु प्रतिस्थानी का विकास

(घ) उक्त सभी

Joint Forest Management--

संयुक्त वन प्रबंधन--

13. Eco-development committees are constituted in villages with in 5 Kms. of--

(a) Reserve Forests

(b) National Parks and wild life sanctuaries

(c) Both (a) and (b)

(d) None of (a) and (b)

इको विकास समिति ऐसे ग्रामों में बनायी जाती है जोसे 5 कि०मी० तक की दूरी पर होते हैं--

(क) आरक्षित वन से (राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी आश्रयणियों को छोड़कर)

(ख) राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी आश्रयणियों से

(ग) विकल्प (क) तथा (ख) (घ) उक्त से कोई नहीं

14. Village forest management and protection committee is constituted in--

(a) Reserve forests

(b) Protected forests (Other than National Park and Wild life sanctuaries.)

(c) National Park and wild life sanctuaries

(d) None of them

ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समितियों को बनाया जाता है--

(क) आरक्षित वन में

(ख) रक्षित वन में

(ग) राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी आश्रयणियों में

(घ) उपरोक्त से कोई नहीं

15. The forest officer who will request Head or Deputy Head of Panchayat for calling the meeting of village assembly--

(a) Forest Guard

(b) Forester

(c) Range officer

(d) Divisional forest officer

ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति के सदस्य कौन होंगे--

(क) ग्राम सभा के सभी सदस्य

(ख) वनपाल

(ग) क्षेत्र पदाधिकारी

(घ) उपरोक्त सभी

16. In the event of dissolution of village panchayat who will preside over the meeting of Village Assembly--

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| (a) Ex-Head of Panchayat | <input type="checkbox"/> | (b) Forest Guard | <input type="checkbox"/> |
| (c) Forester | <input type="checkbox"/> | (d) Range Officer | <input type="checkbox"/> |
- मुखिया या उप-मुखिया से कौन वन पदाधिकारी अनुरोध करेगा कि ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाय--
- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| (क) वन रक्षी | <input type="checkbox"/> | (ख) वनपाल | <input type="checkbox"/> |
| (ग) वन क्षेत्र पदाधिकारी | <input type="checkbox"/> | (घ) वन प्रमण्डल पदाधिकारी | <input type="checkbox"/> |

17. Who will be members of Village Forest Management and protection committees--

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| (a) All members of Village Assembly | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| (b) Forester | <input type="checkbox"/> | (c) Range Officer | <input type="checkbox"/> |
| (d) All of them | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
- ग्राम पंचायत के विघटन के बाद ग्राम सभा की बैठक की कौन पदाधिकारी अध्यक्षता करेगा--
- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| (क) पंचायत का पूर्व मुखिया | <input type="checkbox"/> | (ख) वन रक्षी | <input type="checkbox"/> |
| (ग) वनपाल | <input type="checkbox"/> | (घ) क्षेत्र पदाधिकारी | <input type="checkbox"/> |

18. The following will not be the members of executive of eco-development committee--

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) One third of members will be women (At least) | <input type="checkbox"/> |
| (b) Two members will be from landless (At least) | <input type="checkbox"/> |
| (c) Two members form S.C. and S.T. each (At least) | <input type="checkbox"/> |
| (d) Range officer of forest | <input type="checkbox"/> |
- इको विकास समिति की कार्यकारिणी के निम्नलिखित सदस्य नहीं होंगे--
- | | |
|--|--------------------------|
| (क) कम-से-कम एक तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी | <input type="checkbox"/> |
| (ख) भूमिहीन सदस्यों की संख्या कम-से-कम दो होंगी | <input type="checkbox"/> |
| (ग) अनुसूचित जाति या जन-जाति में से प्रत्येक के न्यूनतम दो सदस्य होंगे | <input type="checkbox"/> |
| (घ) वन क्षेत्र पदाधिकारी | <input type="checkbox"/> |

19. The number of members in executive will be--

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| (a) 10 to 15 | <input type="checkbox"/> | (b) 15 to 20 | <input type="checkbox"/> |
| (c) 20 to 25 | <input type="checkbox"/> | (d) 18 to 25 | <input type="checkbox"/> |
- कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या होगी--
- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| (क) 10 से 15 | <input type="checkbox"/> | (ख) 15 से 20 | <input type="checkbox"/> |
| (ग) 20 से 25 | <input type="checkbox"/> | (घ) 18 से 25 | <input type="checkbox"/> |

20. Who will be member Secretary of the Executive Committee--

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| (a) Forest Guard | <input type="checkbox"/> | (b) Forester | <input type="checkbox"/> |
| (c) Range officer | <input type="checkbox"/> | (d) None | <input type="checkbox"/> |
- कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव कौन होगा--
- | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| (क) वन रक्षी | <input type="checkbox"/> | (ख) वनपाल | <input type="checkbox"/> |
| (ग) क्षेत्र पदाधिकारी | <input type="checkbox"/> | (घ) कोई नहीं | <input type="checkbox"/> |

21. Micro scheme for conservation, management and sustainable exploitation of forests will be prepared by--

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| (a) General Assembly of the village | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| (b) Executive Committee | <input type="checkbox"/> | (c) Range officer of forests | <input type="checkbox"/> |
| (d) None of them | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
- वनों के संरक्षण, प्रबंधन एवं सतत पोष्य विदोहन हेतु सूक्ष्म योजना बनायी जायेगी--
- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| (क) आम सभा द्वारा | <input type="checkbox"/> | (ख) कार्यकारिणी समिति द्वारा | <input type="checkbox"/> |
| (ग) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा | <input type="checkbox"/> | (घ) उपरोक्त से कोई नहीं | <input type="checkbox"/> |

22. Final approval of Micro-plan will be done by--

- (a) Range officer of forests (b) Divisional forest officer
 (c) Conservator of forest (d) All of them
 सूक्ष्म योजना का अंतिम अनुमोदन दिया जायेगा--
 (क) वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा (ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा
 (ग) वन संरक्षक द्वारा (घ) उपरोक्त सभी के द्वारा

23. The executive will prepare an annual scheme on the basis of approved micro-plan. Annual plan up to Rs. 15.00 lac will be approved by--

- (a) Range officer of forest (b) Divisional forest officer
 (c) Conservator of forest (d) None
 कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित सूक्ष्म योजना के आधार पर वार्षिक योजना बनायी जायेगी। 15.00 (पन्द्रह) लाख रुपये तक की वार्षिक योजना का अनुमोदन दिया जायेगा--
 (क) वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा (ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा
 (ग) वन संरक्षक द्वारा (घ) उपरोक्त से कोई नहीं

24. The executive will be presided over by--

- (a) Chairman of executive
 (b) In the absence of Chairman. Range officer of forests
 (c) Any of (a) or (b) (d) None of them
 कार्यकारिणी समिति को अध्यक्षता करेंगे--
 (क) कार्यकारिणी के अध्यक्ष
 (ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वन क्षेत्र पदाधिकारी
 (ग) विकल्प (क) एवं (ख)
 (घ) विकल्प (क) तथा (ख) से कोई नहीं

25. What is Quorum of Executive Committee--

- (a) One third of members (b) Two third of members
 (c) Half of the members (d) None of them
 कार्यकारिणी समिति की गण पूर्ति होगी--
 (क) एक तिहाई सदस्य (ख) दो तिहाई सदस्य
 (ग) आधे सदस्य (घ) उपरोक्त से कोई नहीं

26. Powers of Eco-Development Committees--

- (a) Cattle grazing in prohibited area will be detained
 (b) Owner of cattle will be fined
 (c) People who are responsible for damaging forests in any way will be denied advantages arising out of Joint Forest Management.
 (d) All the above
 ईको विकास समिति की शक्तियाँ हैं--
 (क) निषिद्ध क्षेत्र में चराई करने वाले पशुओं को परिवर्द्ध करना
 (ख) पशु स्वामी पर जुर्माना करना
 (ग) ऐसे व्यक्ति जो वनों को क्षति पहुँचाने के उत्तरदायी हों, को संयुक्त वन प्रबंधन के प्रत्यक्ष लाभों से अपवर्जित करना।
 (घ) उपरोक्त सभी

27. Power and responsibilities of Chairman of Forest/Eco-development committee--

- (a) Calling meeting of General Assembly for constituting executive
 (b) Preside over the meeting of General Assembly
 (c) Sign. all Bills of expenditure or authorise any member of committee for the same.
 (d) All the above

वनपाल की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व--

- (क) कार्यकारिणी के चुनाव का पर्यवेक्षण करना
- (ख) वार्षिक कार्ययोजना एवं मासिक आय-व्यय लेखा से संबंधित सभी अधिलेखों का संभारण
- (ग) वन समिति/ईको विकास समिति के कार्य कलापों से वन क्षेत्र पदाधिकारी को निरन्तर अवगत रखना ।
- (घ) उक्त सभी

28. Powers and Responsibilities of Forester--

- (a) Supervise the election of Executive
- (b) Maintain all documents relating to annual work plan as well as monthly account of income and expenditure.
- (c) Keep range officer updated with the working of Forest/Eco-development committees.
- (d) All the above

वन समिति/ईको वन समिति के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व--

- (क) कार्यकारिणी के गठन हेतु आम सभा आयोजित करना
- (ख) आम सभा की बैठक का सभापतित्व
- (ग) व्यय से संबंधित सभी प्रमाणकों पर हस्ताक्षर करना या कार्यकारिणी के किसी सदस्य को हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत करना ।
- (घ) उपरोक्त सभी

29. Powers and responsibilities of Conservator of Forests--

- (a) Approval of Micro-plan
- (b) Appeal against the order of Divisional Forest Officer regarding departmental disposal of any responsibilities of Forest/Eco-development Committee.
- (c) Conservator of forests can approved unit cost of any work
- (d) All the above

वन संरक्षक की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निम्न प्रकार हैं--

- (क) सूक्ष्म योजना का अनुमोदन
- (ख) वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन समिति/ईको वन समिति से संबंधित उनके दायित्व के विभागीय निष्पादन के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना ।
- (ग) इकाई दर का अनुमोदन (घ) उपरोक्त सभी

30. Monthly Account will be presented by.....in the next meeting of Executive. The Executive will pass the account after reviewing the same--

- (a) Range officer (b) Member Secretary
- (c) Divisional Forest Officer (d) All of them

मासिक लेखा.....द्वारा कार्यकारिणी की अगली बैठक में रखा जायेगा । कार्यकारिणी समीक्षोपरान्त लेखा पारित करेगी--

- (क) वन क्षेत्र पदाधिकारी (ख) सदस्य सचिव
- (ग) वन प्रमंडल पदाधिकारी (घ) उक्त सभी

Environment Protection Act, 1986 and Rules, 1986 :
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 :

31. Environment includes--

- (a) Water and Land (b) Air
- (c) Interrelationship between water, air, land and property
- (d) All the above

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986--

पर्यावरण में सम्मिलित है--

- (क) जल एवं थल (ख) वायु
 (ग) जल, वायु, थल एवं सम्पत्ति में आपसी संबंध
 (घ) उपरोक्त सभी

32. Under rule.....of the Act, the Central Government can issue directions to any person, officer or authority and the same will comply with such directions--

- (a) 3 (b) 4
 (c) 5 (d) 8

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम.....के तहत भारत सरकार किसी व्यक्ति, पदाधिकारी या प्राधिकार को निदेश दे सकती है तथा उनके द्वारा निदेशों का पालन किया जायेगा--

- (क) 3 (ख) 4
 (ग) 5 (घ) 8

33. Person carrying on industry, operation not to allow--

- (a) Any emission or discharge of Environmental Pollutants
 (b) Not to allow emission or discharge of Environmental Pollutants in excess of standards.
 (c) In some cases they are allowed the emission and discharge of Environmental Pollutants of any quantity.
 (d) All of them

जो व्यक्ति उद्योग या इकाई प्रचालन कर रहा है, अनुमति नहीं देगा--

- (क) पर्यावरण प्रदूषण हेतु किसी उत्सर्जन या स्त्राव हेतु
 (ख) मानक से अधिक पर्यावरण प्रदूषण हेतु किसी उत्सर्जन या स्त्राव हेतु
 (ग) कुछ स्थितियों में किसी भी हद तक पर्यावरण प्रदूषण हेतु उत्सर्जन एवं स्त्राव की अनुमति दी जा सकती है।
 (घ) उपरोक्त सभी

34. Penalty for contravention of provisions of Act--

- (a) Fine upto Rupees 50,000.00
 (b) Imprisonment upto 5 years
 (c) Fine upto Rupees 1,00,000.00
 (d) Option (b) and/or (c)

इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दण्ड निम्न प्रकार है--

- (क) 50,000 रु० तक जुर्माना (ख) 5 साल तक की सजा
 (ग) 1,00,000 रु० तक जुर्माना (घ) विकल्प (ख) तथा (ग)

35. Functions of Environmental laboratories will include--

- (a) To evolve standardised methods for sampling and analysis of Pollutants
 (b) Send periodic report of its activities to State Government
 (c) To carry out other functions entrusted to it by State Government
 (d) All the above

पर्यावरण प्रयोगशालाओं के कार्यों में सम्मिलित है--

- (क) प्रदूषकों के सैम्पल एवं जाँच हेतु मानक विधि का उद्विकास करना
 (ख) अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देना
 (ग) राज्य सरकार द्वारा दिये गये अन्य कार्यों का निष्पादन करना
 (घ) उपरोक्त सभी

Wild Life Protection Act, 1927--

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1927 एवं इसके संशोधन--

36. Animal includes--

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| (a) Mammals | <input type="checkbox"/> | (b) Birds | <input type="checkbox"/> |
| (c) Fishes | <input type="checkbox"/> | (d) All the above | <input type="checkbox"/> |
| जानवर में सम्मिलित है-- | | | |
| (क) स्तनधारी | <input type="checkbox"/> | (ख) चिड़िया | <input type="checkbox"/> |
| (ग) मछली | <input type="checkbox"/> | (घ) उपरोक्त सभी | <input type="checkbox"/> |

37. Captive animal means any animal which is captured or kept or bred in captivity and is specified in--

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| (a) Schedule-II | <input type="checkbox"/> | (b) Schedule-V | <input type="checkbox"/> |
| (c) Schedule-VI | <input type="checkbox"/> | (d) All the above | <input type="checkbox"/> |

पालतू जानवर का मतलब है कोई जानवर जिसे पकड़ा गया हो या जिसका बन्दी स्थिति में प्रजनन किया गया हो एवं जो निर्दिष्ट हो--

- | | | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| (क) सेड्यूल-II | <input type="checkbox"/> | (ख) सेड्यूल-V | <input type="checkbox"/> |
| (ग) सेड्यूल-VI | <input type="checkbox"/> | (घ) उपरोक्त सभी | <input type="checkbox"/> |

38. Hunting of wild animal specified in schedule-I can be permitted by chief wild life warden if he is satisfied that--

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) Wild animal has become dangerous to human life | <input type="checkbox"/> |
| (b) Wild animal has become dangerous to human property | <input type="checkbox"/> |
| (c) Both (a) and (b) | <input type="checkbox"/> |
| (d) None | <input type="checkbox"/> |

सेड्यूल-I में निर्दिष्ट जंगली जानवर के शिकार की मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक द्वारा अनुमति दी जा सकती है यदि वह संतुष्ट है कि--

- | | |
|---|--------------------------|
| (क) वन्य प्राणी मानव जीवन के लिए खतरा है | <input type="checkbox"/> |
| (ख) वन्य प्राणी मानव सम्पत्ति के लिये खतरा है | <input type="checkbox"/> |
| (ग) विकल्प (क) तथा (ख) | <input type="checkbox"/> |
| (घ) कोई नहीं | <input type="checkbox"/> |

39. The State Government by notification declare its intention to constitute an area other than area within reserved forests under Section.....of wild life Act as wild life sanctuary--

- | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| (a) 15 | <input type="checkbox"/> | (b) 18 | <input type="checkbox"/> |
| (c) 19 to 24 | <input type="checkbox"/> | (d) All of them | <input type="checkbox"/> |

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आरक्षित वनों से बाहर के क्षेत्र के संबंध में उक्त क्षेत्र को वन्य प्राणी अधिनियम की धारा.....के अन्तर्गत वन्य प्राणी आश्रयणी बनाने की इच्छा व्यक्त कर सकती है--

- | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| (क) 15 | <input type="checkbox"/> | (ख) 18 | <input type="checkbox"/> |
| (ग) 19 से 24 | <input type="checkbox"/> | (घ) उक्त सभी | <input type="checkbox"/> |

40. No person other than.....shall be allowed to enter Wildlife sanctuary--

- | | |
|--|--------------------------|
| (a) Public servant on duty | <input type="checkbox"/> |
| (b) Person who has right over immovable property within the limits of sanctuary. | <input type="checkbox"/> |
| (c) Dependents of person given on (a) and (b) | <input type="checkbox"/> |
| (d) All the above | <input type="checkbox"/> |

.....के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आश्रयणी में नहीं जायेगा--

- | | |
|--|--------------------------|
| (क) ड्यूटी पर सरकारी सेवक | <input type="checkbox"/> |
| (ख) आश्रयणी क्षेत्र में जिस व्यक्ति की अचल सम्पत्ति है | <input type="checkbox"/> |
| (ग) विकल्प (क) तथा (ख) से संबंधित व्यक्तियों के आश्रित | <input type="checkbox"/> |
| (घ) उपरोक्त सभी | <input type="checkbox"/> |

41. The chief wild life warden shall have authority to allow.....with in the limits of sanctuary--

(a) Construction of roads and bridges as he may consider necessary for the purpose of sanctuary.

(b) Tourist lodges (c) Safari parks

(d) All the above

मुख्य वन प्राणी प्रतिपालक के अधिकार क्षेत्र में आश्रयणी के अन्दर निम्नलिखित कार्यों की अनुमति देना है--

(क) सड़क एवं पुल निर्माण कार्य जो उनके अनुसार आश्रयणी हेतु आवश्यक है

(ख) टूरिस्ट लौज

(घ) उपरोक्त सभी

(ग) सफारी पार्क

42. The National Park can be declared--

(a) In areas which are outside wild life sanctuary

(b) Areas which are of ecological, faunal and floral importance

(c) Areas within or outside sanctuary

(d) Option (b) and (c)

राष्ट्रीय उद्यान की उद्घोषणा की जा सकती है--

(क) उन क्षेत्रों में जो वन्य प्राणी आश्रयणी से बाहर है

(ख) उन क्षेत्रों में जो पारिस्थितिक, प्राणी एवं वनस्पति महत्व के हैं

(ग) क्षेत्र जो वन प्राणी आश्रयणी के अन्दर या उसके बाहर हैं

(घ) विकल्प (ख) तथा (ग)

43. The conservation reserve will be declared by State Government on--

(a) Area owned by Government

(b) Areas adjacent to National Park and sanctuaries

(c) After consultation with local communities

(d) All the above

राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित किया जायेगा जो--

(क) सरकार की भूमि हो

(ख) क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान का और आश्रयणी क्षेत्र से नजदीक हो

(ग) स्थानीय समुदायों से विमर्श किया गया हो

(घ) उपरोक्त सभी

44. The State Government can declare an area as community reserve--

(a) It should be on private or community land

(b) It should be within National Park or sanctuary

(c) Both (a) and (b)

(d) None of (a) and (b)

राज्य सरकार किसी क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व घोषित कर सकती है यदि--

(क) यह क्षेत्र सामुदायिक या निजी भूमि का भाग हो

(ख) यह क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान या आश्रयणी के अन्दर हो

(ग) विकल्प (क) तथा (ख)

(घ) कोई विकल्प नहीं

45. Conditions for acquisition of animals by Zoos--

(a) No zoo shall acquire any animal in Schedule I and II except with prior permission of National Zoo Authority.

(b) Transition of wild or captive animals allowed between recognised zoos.

(c) Both (a) and (b)

(d) None of (a) and (b)

चिड़ियाघरों द्वारा जानवरों के प्राप्त करने की शर्तें--

(क) कोई चिड़िया घर सेड्यूल-I तथा II के किसी जानवर को राष्ट्रीय चिड़िया घर प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना प्राप्त नहीं कर सकता ।

(ख) जंगली या पालतू जानवर का आदान-प्रदान केवल मान्यता प्राप्त चिड़िया घरों के बीच ही हो सकता है

(ग) विकल्प (क) तथा (ख)

(घ) कोई नहीं

46. The following activities by spectators prohibited inside zoo--

- (a) Teasing of animals (b) Feeding of animals
 (c) Disturbing animals by noise
 (d) All of them

चिड़िया घर के अन्दर निम्नलिखित कार्यकलाप प्रतिबन्धित है--

- (क) जानवरों को परेशान करना (ख) जानवरों को खिलाना
 (ग) जानवरों को तेज आवाज से परेशान करना
 (घ) उपरोक्त सभी

47. No alteration in the boundary of Tiger Reserve will take place except--

- (a) On recommendation of Tiger conservation authority
 (b) Recommendation in (a) to be approved by National Board of wild life.
 (c) Both (a) and (b) (d) None

बाघ परियोजना की सीमा में.....के बिना कोई बदलाव नहीं किया जायेगा--

- (क) बाघ संरक्षण प्राधिकार की अनुशांसा पर
 (ख) विकल्प (क) की अनुशांसा को राष्ट्रीय वन्य प्राणी पर्यद द्वारा स्वीकृति देने पर
 (ग) विकल्प (क) तथा (ख) (घ) कोई नहीं

48. A person who acquires a property derived for illegal hunting and trade shall be punishable--

- (a) By fine of Rs. 10,000.00
 (b) By fine that may extend to Rs. 50,000.00
 (c) By imprisonment that may extend to 5 years
 (d) Option (b) and/or (c)

जो व्यक्ति गैर-कानूनी ढंग से शिकार की गयी या व्यापार की गयी संपत्ति प्राप्त करता है उसे निम्नलिखित दण्ड दिया जायेगा--

- (क) 10,000 रु० का जुर्माना (ख) 50,000 रु० तक का जुर्माना
 (ग) 5 वर्ष तक की जेल की सजा (घ) विकल्प (ख) और/या (ग)

49. Sale of specified animals will be Government by following conditions--

- (a) Purchase and sale of animal can take place between licensed dealers.
 (b) Applications for purchase shall be made in form V
 (c) Permission shall granted in form VI
 (d) All the above

निर्दिष्ट जानवरों की बिक्री निम्नलिखित शर्तों पर की जायेगी--

- (क) जानवरों की खरीद एवं बिक्री अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलर के बीच हो सकती है
 (ख) खरीद के लिये आवेदन फार्म-V में दिया जायेगा
 (ग) अनुमति फार्म-VI में दी जायेगी (घ) उपरोक्त सभी

50. A application for recognition of zoo shall be made to central zoo Authority and will be accompanied by a fees of--

- (a) Five hundred rupees (b) One thousand rupees
 (c) Five thousand rupees (d) Ten thousand rupees

चिड़िया घर की मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण को दिया जायेगा तथा इनके साथ.....रु० की फीस दी जायेगी--

- (क) 500 रुपया (ख) 1,000 रुपया
 (ग) 5,000 रुपया (घ) 10,000 रुपया

Part--'B'/खण्ड--'ख'

Short answer type questions/लघु-उत्तरीय प्रश्न

Write short Note on any five of the following--

किन्हीं पाँच पर टिप्पणी दें--

5×8=40

1. Pollution in River Ganges
गंगा नदी में प्रदूषण
2. Air pollution
वायु प्रदूषण
3. Agro-forestry
कृषि-वानिकी
4. Noise pollution
ध्वनि प्रदूषण
5. National Parks
राष्ट्रीय उद्यान
6. Vikramshila Gangetic dolphin sanctuary.
विक्रमशिला गांगेय डाल्फिन आश्रयणी ।

Answer All questions.

सभी प्रश्नों के उत्तर दें।

1. What do you understand by "ecological balance" ? What steps are required to maintain ecological balance ? 30

पर्यावरण संतुलन से आप क्या समझते हैं ? पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के लिए कौन-से कदम उठाने आवश्यक हैं ?

2. Describe the threats faced by wet lands in Bihar ? What are your suggestions for conserving ecology of these wet lands ? 30

बिहार राज्य में जल प्लावित क्षेत्रों पर विभिन्न संकटों का विवरण दें। इन क्षेत्रों की परिस्थितिकी के संरक्षण हेतु सुझाव दें।